न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 206 / 2021

सुभाषचन्द्र निवासी बी—09, इन्दिरा नगर, झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं, मो0न0 9950086854

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 20.10.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 29.09.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 206 / 2021 पर दिनांक 30.09.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2021 / 3209—3210 दिनांक 30.09.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16 (4)(5)न्याय / सू0अ0 / 21 / 1901 दिनांक 05.10.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी सुभाषचन्द्र निवासी बी—09, इन्दिरा नगर, झुंझुनूं का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 05.08.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16 (4) (5)न्याय / सू0अ0 / 09 / 289 दिनांक 10.08.2021 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनूं को नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं पत्रांक एफ 16 (4)(5)न्याय / सू0अ0 / 21 / 1901 दिनांक 05.10.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी सुभाषचन्द्र निवासी बी—09, इन्दिरा नगर, झुंझुनूं का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 05.08.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16 (4) (5)न्याय / सू0अ0 / 09 / 289 दिनांक 10.08.2021 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनूं को नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। चूंकि अपीलार्थी को सूचना प्राप्त नही हुई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनूं को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 20.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनूं